

## राजस्थान सरकार का किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण विधेयक

“राजस्थान भूमि अधिग्रहण विधेयक, 2014” के कुछ मुख्य प्रावाधानों की केन्द्र के “भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” के साथ तुलना

राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में राज्य में भूमि अधिग्रहण के लिए “राजस्थान भूमि अधिग्रहण विधेयक” का मसौदा जारी किया गया है। यदि यह विधेयक लागू होता है तो पिछले वर्ष पारित केन्द्रीय कानून “भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” जिसे जनता के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक माना जा सकता है, राज्य में लागू नहीं होगा। हाल ही में राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित श्रम कानूनों में संशोधन विधेयक की तरह ही यह विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होने पर भी राष्ट्रपति महोदय के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकता है।

हालांकी भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में भी कुछ कमियां हैं परन्तु फिर भी इसका उद्देश्य स्थानिय स्वशासन एवं ग्राम सभा के साथ विमर्श कर के विकास की परियोजनाओं के लिये प्रभावित परिवारों को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए मानवीय, सहभागी, सूचनाबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया से भूमि अधिग्रहण करना तथा प्रभावितों का पुनर्वास एवं प्रभावितों का पुनःस्थापन सुनिश्चित करना है, जबकि राजस्थान भूमि अधिग्रहण विधेयक के प्रस्तुत मसौदे में तेजी से औद्योगिक विकास के लिये राज्य में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करना तथा मुआवजा प्रदान करना ही उद्देश्य रखा गया है।

नीचे “राजस्थान भूमि अधिग्रहण विधेयक, 2014” के मसौदे के कुछ मुख्य प्रावाधानों की केन्द्र के “भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” के साथ तुलना की गयी है।

क्र. स.	प्रवधान	राजस्थान भूमि अधिग्रहण विधेयक ड्राफ्ट, 2014	भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
1	उद्देश्य	इसका उद्देश्य राज्य में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करना तथा मुआवजा प्रदान करना।	इसका उद्देश्य स्थानिय स्वशासन एवं ग्राम सभा के साथ विमर्श कर के विकास की परियोजनाओं के लिये प्रभावित परिवारों को कम से कम बाधा पहुंचाये मानवीय, सहभागी, सूचनाबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया से भूमि अधिग्रहण करना तथा उनका पुनर्वास एवं पुनःस्थापन सुनिश्चित करना।
2	मुआवजा	<ul style="list-style-type: none"> <li>शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य के बराबर</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>शहरी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण पर मुआवजे की राशि को बाजार मूल्य से दो गुना</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>ग्रामीण क्षेत्रों में यदि भूमि शहरी निकायों के पाँच किलोमीटर के दायरे में है तो अधिग्रहण पर मुआवजा भूमि के बाजार मूल्य का केवल 1.25 गुना से 2.5 गुना ही होगा</li> <li>वहीं अगर भूमि इस दायरे के बाहर है तो मुआवजे की राशि बाजार मूल्य का 2.25 से 4.5 गुनी होगी</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य का चार गुना</li> </ul>
3	सामाजिक प्रभाव अध्ययन	विकास परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव अध्ययन को पूरी तरह से नकार दिया गया है	सामाजिक प्रभाव अध्ययन का प्रावधान रखा गया है
4	पुनर्वास एवं पुनःस्थापन	<ul style="list-style-type: none"> <li>पुनर्वास एवं पुनःस्थापन राशि के रूप में मुआवजे के लिये निर्धारित राशि के अतिरिक्त 10 प्रतिशत तथा अन्य परियोजनाओं में 30 प्रतिशत अतिरिक्त देने का प्रावधान है</li> <li>यदि एक पूरा गांव या एक से अधिक गांव विस्थापित होते हैं तो यदि संभव हुआ तो सरकार विस्थापितों का पुनर्वास कर सकती है। इस प्रकार राज्य सरकार ने पुनर्वास के कानूनी बाध्यता को समाप्त कर देना चाहती है।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>पुनर्वास एवं पुनःस्थापन अनिवार्य है</li> <li>विस्थापित परिवारों के लिए आधारभूत सुविधाएं जैसे: पक्की सड़क, स्वच्छता योजनाएं, सुरक्षित पेयजल, पशुओं के लिए पेयजल एवं चारागाह, दुकानें, पंचायत घर, डाक घर, आंगनवाड़ी आदि उपलब्ध कराना आवश्यक है।</li> <li>परियोजनाओं के माध्यम से आजीविका के साधन एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा</li> </ul>
5	सहमति	निजी-सार्वजनिक भागीदारी के परियोजनाओं के लिये ली जा रही भूमि के लिये सिर्फ 60 प्रतिशत परिवारों की पूर्व सहमति लेनी होगी	निजी-सार्वजनिक भागीदारी के परियोजनाओं के लिये ली जा रही भूमि के लिये 70 प्रतिशत परिवारों की पूर्व सहमति लेनी होगी
6	अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा अथवा पंचायतों की भूमि अधिग्रहण में कोई भूमिका नहीं होगी	भूमि अधिग्रहण से पूर्व ग्राम सभा या पंचायत की अनुमति लेना आवश्यक है
7	भूमि वापसी	कोई प्रावधान नहीं	यदि कब्जा लेने की तारीख से पाँच वर्ष की अविध तक भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा तो उसे मूल स्वामी या स्वामियों या उनके वारिसों या सरकार के भूमि बैंक में वापस किया जायेगा।
8	भूमि के लिये भूमि	कोई प्रावधान नहीं	भूमि के अर्जन की वजह से सीमांत या भूमिहीन हो जाने की स्थिति में न्यूनतम एक एकड़ भूमि आवंटित करने का प्रावधान

9	जिला कलेक्टर के अधिकार	जनहित के मापदण्ड एवं गतिविधिया तथा भूमि का बाजार मूल्य एवं मुआवजा निर्धारित करने का पूरा अधिकार	भूमि का बाजार मूल्य एवं मुआवजा निर्धारित करने का स्पष्ट कानूनी प्रवधान जिसको जिला कलेक्टर नहीं बदल सकता
10	आपात धारा	<ul style="list-style-type: none"> <li>● कलेक्टर को विशेष शक्तियां</li> <li>● कलेक्टर किसी भी आवश्यक भूमि को 15 दिन के नोटिस पर कब्जा कर किसी भी परिवार को विस्थापित कर सकता है</li> <li>● आपात स्थिति स्पष्ट नहीं</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● सरकार के निर्देशन में</li> <li>● कलेक्टर किसी भी आवश्यक भूमि को 30 दिन के नोटिस पर कब्जा कर किसी भी परिवार को विस्थापित कर सकता है</li> <li>● आपातधारा का इस्तेमाल केवल दो स्थितियों में किया जा सकता है – एक तो प्राकृतिक हादसे की स्थिति में और दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में</li> </ul>
11	सज़ा का प्रवधान	भूमि अधिग्रहण के खिलाफ़ आवाज़ उठाने वाले तथा प्रक्रिया में बाधा डालने वाले को तीन से छः महिनो की कैद या दस हजार से तीन लाख रू तक का जुर्माना	ऐसा कोई प्रवधान नहीं

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि केन्द्रीय कानून में कई महत्त्वपूर्ण प्रावधान हैं जो भूमि अधिग्रहण से हुए विस्थापितों तथा प्रभावितों के हित में है तथा उनके पूर्णवास एवं उनके आजीविका से जुड़े प्रावधान दिये गये हैं। और अब यह कानून 1 जनवरी 2014 से लागू हो चुका है। ऐसे में राजस्थान सरकार को एक नया कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार को राज्य में केन्द्र कानून को लागू करने के लिए उचित नियम बनाने चाहिये तथा राज्य में विकास के लिए जमीन खोने वालों को और अधिक लाभ पहुँचाने के प्रयास करने चाहिये ना कि केन्द्रीय कानून द्वारा दिये गए अधिकारों में कटौती करनी चाहिये।